सं0–679/उन्तीस/05/2(06पे0)/2005

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग– देहरादूनः दिनांकः 29 मार्च, 2005

विषयः –ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर के अन्तर्गत विभिन्न पेयजल योजनाओं हेतु वर्ष 2004–05 में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक– 437दिनांक 07.02.2005 एवं पत्र संख्या 4239 दिनांक 15.03.2005 एंव 4236, दिनांक 15.03.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 में ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर के अंतर्गत संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार ग्रामीण पेयजल योजनाओं के निर्माण, पुनर्गठन, सुदृढीकरण कार्य हेतु कुल रू0 948.66 लाख की लागत के कार्यो पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन प्रदान कर चालू वित्तीय वर्ष में रू0 599.88 लाख (रू0 पॉच करोड निन्यानब्बे लाख अटठासी हजार मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम–15 में दिये गये विवरणानुसार पुनर्विनियोग द्वारा बचतो के व्यावर्तन से व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान देहरादून के हस्ताक्षर एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में वास्तविक आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

3– सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर परचेज नियमों का पालन आवश्यक है जिन मदों का प्राविधान बाजार भाव से किया गया है उनका क्रय नियमानुसार ही किया जायेगा

4– स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्ही कार्यों पर किया जायेगा जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही हैं ऐसे कार्यो पर धनराशि कदापि व्यय न की जाय जिनके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति नही है अथवा जो विवादग्रस्त हैं। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनैन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

क्रमशः..2..

6– प्रस्तावित कार्यों को यथासम्भव ग्रीष्मऋतु से पूर्व सम्पन्न कराना सुनिश्चित करते हुए कराये गये कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के मासिक/त्रैमासिक विवरण नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाय। ग्रीष्मकाल के समाप्त होने पर कार्यवार व्यय विवरण व कार्य की भैतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ओर पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग एवं उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही आगमी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

7– कार्य की समयबद्वता एवं गुणवत्ता के लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

8– कार्यो में सैंटेज/कन्टीजैन्सी व्यय वर्तमान में प्रचलित शासकीय दर से नियमानुसार ही लिया जायेगा।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि का यथाशीघ्र पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायें अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा।

10– योजना को इसी लागत में पूर्ण कर लिया जायेगा और विलम्ब या अन्य कारणों से इसकी लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

11– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक "2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम– 03 –ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर–00–20 सहायक अनुदान/अंशदान / राजसहायता" के नामें डाला जायेगा ।

13– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0– 1174/ वि0अनु0–3/2005 दिनांक 29 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

<u>संलग्न यथोक्त</u>

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

सं0 679 (1)/उन्तीस/05/2(06पे0)/2005, तद दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
3. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमॉयू ।
4. जिलाधिकारी, देहरादून/सम्बन्धित जनपद ।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमॉयू), उत्तरांचल पेयजल निगम।

क्रमशः..3.

7. वित्त अनुभाग–3/वित्त(बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0 पेयजल मंत्री, उत्तरांचल।
9. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या 68/उन्तीस/05–(06पे0)/2005, दिनांक 29 मार्च, 2005

का संलग्नक

तालिका–1

धनराशि रू0 लाख में

कम सं0	जनपद	योजनाकानाम	अनु0 लागत	पूर्वस्वीकृत राशि	स्वीकृत राशि
1	देहरादून	त्यूनी पे0यो0	21.94	9.00	12.94
2		कुल्हा पे0यो0	4.20	3.50	0.70
3		उगरेऊ	9.85	5.00	4.85
4		ढकरानी ढालीपुर	58.05	24.00	34.05
5		लाखामण्डल	89.21	50.00	39.21
6		होरावाला	42.38	–	42.38
7		बडवा	23.00	–	23.00
8		नवाकोट	4.50	–	4.50
9	टिहरी	अंजनीसैंण	4.00	–	4.00
10		गौसारी	7.00	–	7.00
11		भटवाडा	6.00	–	6.00
12		गैरी राजपूत	5.00	–	5.00
		योग	275.13	91.50	183.63

तालिका–2

कम सं0	जनपद	योजनाकानाम	अनु0 लागत	पूर्वस्वीकृत राशि	स्वीकृत राशि
1	देहरादून	ग्रामीण क्षेत्रो की पेयजल योजनाओं मे उर्धव जलाशय व ऑटोवाश फिल्टर का निर्म्राण	114.19	–	50.00
2		विकासनगर विधानसभा क्षेत्र मे मिनी नलकूपों का निर्माण एंव तत्सम्बन्धी कार्य	308.75	–	150.00
3		सहसपुर विधानसभा क्षेत्र मे मिनी नलकूपो का निर्म्राण एंव तत्सम्बन्धी कार्य	241.09	–	150.00
		योग	664.03	–	350.00

तालिका–3

कम सं0	जनपद	योजनाकानाम	अनु0 लागत	पूर्वस्वीकृत राशि	स्वीकृत राशि
1	टिहरी	रजाखेत पे0यो0	6.20	–	6.20
2		म्यूडां पे0यो0	6.40	–	6.40
3		खाण्ड पे0यो0	5.40	–	5.40
4		नेल्डा	3.10	–	3.10
5		तुनियार	2.40	–	2.40
6		मंदार बनियानी	2.00	–	2.00
7		सेमा	2.25	–	2.25
8		मुखमाल	8.00	–	8.00
9		कन्डियालगांव	3.00	–	3.00
10		चौराणी प्रतापनगर	3.40	–	3.40
11		मिश्रवांणगाव	6.70	–	6.70
12		जाखणी	3.00	–	3.00
13		असगड़पोखाल	2.00	–	2.00
14		भेतला	1.50	–	1.50
15	रूद्रप्रयाग	कणसिली	6.00	–	6.00
16		क्यूड़ी बैजीबावड़ी	5.00	–.	5.00
		योग	66.35	–	66.35
		कुल योग	948.66	91.50	599.88

(रू0 पॉच करोड़ निन्यानब्बे लाख अठ्सी हजार मात्र)

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

नियन्त्रक अधिकारी – मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।

प्रशासनिक विभाग – पेयजल विभाग, उत्तरांचल शासन ।

आयोजनागत

धनराशि (रु० हजार में)

प्राविधान तथा लेखाशीर्षक	मानक मदवार अद्यावधिक स्थिति	वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–4 में अवशेष राशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि।
1	2	3	4	5	6	7	8
2215–जलपूर्ति तथा सफाई				2215– जलपूर्ति तथा सफाई			(क) भारत सरकार से धनराशि नहीं अवमुक्त होने के कारण प्राविधान में बचत हुई।
02–मल निकासी एवं सफाई				01– जलपूर्ति–आयोजनागत			
107–मल निकासी सेवायें				102– ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				03– ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर			(ख) वास्तविक आवश्यकता के कारण।
05–गंगा कार्ययोजना (70% के0स0) प्रति कार्य				00–20– सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहाय			
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता							
79500	–	–	79500(क)	59988(ख)	537344	19512	
79500	–	–	79500	59988	537344	19512	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या – 1174(क)वित्त अनु0–3/2005
देहरादून : दिनांक 29 मार्च 2005
पुनर्विनियोजन स्वीकृत

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव वित्त

सेवा में,
महालेखाकार
उत्तरांचल, देहरादून

संख्या 675 (2)/उनतीस/05–2–(06प0)/2001, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1–कोषाधिकारी/ जिलाधिकारी, देहरादून । 2. वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव